



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022020-216256
CG-DL-E-18022020-216256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]
No. 676]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2020/माघ 28, 1941
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2020/MAGHA 28, 1941

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

का.आ. 741(अ).—केन्द्रीय सरकार, रसायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1490(अ) दिनांक 13 सितम्बर, 2006 में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"1. डॉ. वी.पी. जाँय

- अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता";

[फा. सं. सी-I.40015/4/2013-रसा.I]

समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मुख्य अधिसूचना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के दिनांक 13 सितम्बर, 2006 के का.आ. सं. 1490(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13 अगस्त, 2019 के का.आ. सं. 3123(अ) के तहत अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2020

S.O. 741(E).—In exercise of the provisions of sub-section (1) of section 6 of Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, number S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006, with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

2. In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“1. Dr. V. P. Joy - Chairperson, National Authority Chemical Weapons Convention”;

[F. No. C-I-40015/4/2013-Ch.I]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* Ministry of Chemical and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals number S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006 and last amended *vide* No. S.O. 3123(E) dated the 28th August, 2019.